

अग्नि-शामक यंत्रों जाँच

**प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है व्यवस्थापक/प्राचार्य बाल विद्या निदेशन

शुक्ल-चंद्र, कक्षा जहानाबाद द्वारा प्रस्तुत किया गया पोर्टेबल अग्निशमन यंत्रों को जाँच की गई एवं जाँच के क्रम में अग्निशमन यंत्र चालु एवं क्रियाशील अवस्था में पाया गया। इस संदर्भ में निर्गत तिथि से एक वर्ष के लिए प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत की जाती है कि व्यवस्थापक:-


- (01) पोर्टेबल अग्निशमन यंत्रों को अपने स्कूल भवन में निदेशित स्थान पर रखेंगे। संधारण कि कमी के कारण यंत्रों में आने वाली तकनीकी खराबी की जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी।
- (02) स्कूल में फायर सेफ्टी टीम का गठन कर वर्ष में कम-से-कम दो बार मॉक ड्रिल करायेंगे।
- (03) कार्यरत शिक्षकों, बच्चों तथा कर्मियों को अग्निशमन यंत्रों के संचालन विधि से अवगत करा देंगे।
- (04) नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया पार्ट-4 फयर एण्ड लाईफ सेफ्टी के प्रावधानों के अनुसार पानी का पर्याप्त भंडारण हेतु स्टैटिक टैंक या हाइड्रेंट एवं अन्य व्यवस्था यथाशीघ्र करेंगे।
- (05) वर्ष में एक बार अग्निशमन व्यवस्था की जाँच इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (06) ए0 बी0 सी0 टाईप 0.6 Kg का 1.5 (पन्ना) आदद कार्यरत हैं।

  
31/12/19  
अग्निशामालय पदाधिकारी,  
जहानाबाद।

पत्रांक 616 /नि0/जहा0, दिनांक 05/12/2019

कार्यालय:- अग्निशामालय पदाधिकारी, जहानाबाद

प्रति:- व्यवस्थापक/प्राचार्य बाल विद्या निदेशन, जहानाबाद  
को सुचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

  
31/12/19  
अग्निशामालय पदाधिकारी  
जहानाबाद